उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-65/2015/1345/26-3-2015-10(27)/99-टी.सी.

लखनऊ दिनांकः 11 जून, 2015

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-28/2015/1066/26-3-2015-10(27)/99-टी.सी दिनांक-13.04.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक-"2225-01-277-17 के अन्तर्गत के चालू कार्यक्रमों पर व्यय हेतु रूपया-168.44 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त निर्गत शासनादेश के मानक मद संख्या-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में आय-व्ययक प्राविधान एवं आवंटित की गयी धनराशि के कालम में रूपया-1.00 लाख अंकित हो गया है। अतः उक्त मानक मद में अंकित धनराशि रूपया-1.00 लाख के स्थान पर आंशिक संशोधन के उपरान्त रूपया-4.00 लाख पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश दिनांक-13.04.2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगी।

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

पृ0सं0-65/2015/1345(1)/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ
4. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8. सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन/गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in